

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 01/2023 (GCMS : 2023/38)

शान्ति उर्फ सन्नो बाई पत्नी सावन राम जाति ओड़ निवासी गांव रतेवाला तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

गीता रानी पत्नी स्वर्गीय रणजीत राज जाति ओड़ निवासी जिला परिषद,
हनुमानगढ़, एसडीसी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़



07.07.2025

पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी शान्ति उर्फ सन्नो बाई को बार-बार आवाज
लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो
पाया कि अपीलार्थी शान्ति उर्फ सन्नो बाई ने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा
माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के
तहत पारित आदेश दिनांक 07.04.2022 के विरुद्ध यह अपील पेश की थी।


अपीलार्थी शान्ति उर्फ सन्नो बाई के दो पुत्र कमाने वाले थे, फौत हो चुके
है तथा एक पुत्र नशेड़ी प्रवृत्ति का है जो अक्सर बाहर रहता है तथा अपीलार्थी
ने अपनी पुत्रवधु गीता रानी के विरुद्ध प्रकरण पेश किया था, जिसे उपखण्ड
अधिकारी, पदमपुर ने अपने आदेश दिनांक 07.04.2022 से अपीलार्थी की अपील
खारिज कर दी थी, जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक
का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत यह अपील
पेश की है, जो आरम्भ से क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर सुनवाई हेतु विचाराधीन है।

अपीलार्थीगण, अपील प्रस्तुत करने के पश्चात अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष
कभी भी उपस्थित नहीं हुए, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण इस अपील
को आगे चलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए विचाराधीन अपील अदालत के अदम
पैरवी में खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाया जाये। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जू)
जिला कलेक्टर
श्रीमदानन्दपुर